

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 335 / 2013
संस्थान दिनांक 13.06.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

हितेश पिता शिवजी राठौड़, आयु 25 वर्ष
निवासी- ग्राम छोटा बड़दा,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 03.10.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 134 / 2013 अंतर्गत 279, 337, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 13.06.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17.05.2013 को समय दोपहर 04:00 बजे ग्राम छोटा बड़दा, घाटी के पास वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उमरावसिंग का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसे टक्कर मारी, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि वह उमराव का पुत्र है तथा अभियुक्त शिवजी असा 9 का पुत्र है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 17.05.2013 को फरियादी ओमप्रकाश एवं उमराव, चम्पालाल व भावसार के साथ अंजड़ से पैदल-पैदल छोटा बड़दा नर्मदा नदी में नहाने जा रहे थे, जैसे ही वह छोटा बड़दा घाटी के पास पहुँचे कि सामने से एक पीकअप जीप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 को उसका चालक तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और रोड़ किनारे चल रहे उमराव को टक्कर मार दी और चालक जीप को अंजड़ की ओर भगाकर ले गया। उसके पश्चात् ओमप्रकाश ने उमराव को देखा जिसे सिर में, दोनों पैरों में चोंटे लगी और उमराव को अस्पताल अंजड़ लेकर गये जहाँ से उमराव को बड़वानी चिकित्सालय में ईलाज हेतु भर्ती किया गा। फरियादी ओमप्रकाश द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन पीकअप जीप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 134/2013 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 5 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी ओमप्रकाश की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त के पेश करने पर वाहन पीकअप जीप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 12 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। चिकित्सा के दौरान उमराव की मृत्यु हो जाने से अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.05.2013 को समय दोपहर 04:00 बजे ग्राम छोटा बड़दा, घाटी के पास वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उमरावसिंग का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसे टक्कर मारी, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी भावसार (अ.सा.1), चम्पालाल (अ.सा.2), ओमप्रकाश (अ.सा.3), बजारीबाई (अ.सा.4), सरदार (अ.सा.5), डॉ. असीम राय (अ.सा.6), सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह (अ.सा.7), पण्डू (अ.सा.8), शिवजी (अ.सा.9), सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव (अ.सा.10) एवं डॉ. विमलेश चोयल (अ.सा.11) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में भावसार अ.सा. 1 का कथन है कि वह मृतक उमराव को जानता है तथा 1 वर्ष पूर्व वह मृतक उमराव व बहन बंजारीबाई नर्मदा नदी नहाने के लिए पैदल जा रहे थे, आगे-आगे उमराव पैदल चल रहा था। ग्राम बड़दा की ओर से पीकअप वाहन जोर से आया और उमराव को टक्कर मार दी। वे लोग उमराव को उठाकर अंजड़ अस्पताल लेकर आये उसके बाद बड़वानी अस्पताल ले गये। उसने पीकअप वाहन के क्रमांक को नहीं देखा था। साक्षी ने उक्त वाहन को जितेन्द्र द्वारा चलाना बताया था। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वाहन को अभियुक्त चला रहा था। यहाँ तक कि साक्षी ने उपस्थित अभियुक्त की पहचान भी वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि ओमप्रकाश नामक व्यक्ति ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का क्रमांक लिखाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 1 का कथन दिया था।

8. चम्पालाल अ.सा. 2 बंजारीबाई अ.सा. 4, सरदार अ.सा. 5 ने भी पीकअप वाहन से टक्कर मारने से उमराव की मृत्यु कारित होने के संबंध में कथन किये हैं। बंजारीबाई का यह भी कथन है कि पीकअप वाहन का चालक वाहन को तेज गति से चलाकर लाया था। चम्पालाल असा. 2 ने उमराव की लाश का सफीना फार्म प्रदर्शपी 2 एवं नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 3 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी ने भी अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से इंकार किया कि उपस्थित अभियुक्त सफेद रंग का पीकअप वाहन तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उमराव को टक्कर मार दी थी। इस साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 4 का कथन देने से भी इंकार किया है।

9. ओमप्रकाश असा 3 का कथन है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व वह अंजड़ में बड़दा रोड़ वाली मस्जिद के पास खड़ा था, किसी ने उसे बताया था कि बड़दा घाटी के ऊपर दुर्घटना हो गई है तब वह दुर्घटनास्थल पर गये थे। उसने दुर्घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखा था। वह उसे अस्पताल लेकर आये थे। साक्षी ने प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट में पुलिस को वाहन का क्रमांक लिखाना बताया है तथा प्रदर्शपी 6 के नक्शा मौका पंचनामें पर तथा प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट पर ए से ए भगा पर अपने हस्ताक्षर होना भी बताया है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि घटना वाले दिन वह, मृतक तथा साक्षी सरदार व भावसार के साथ नर्मदा नदी नहाने पैदल जा रहा था तब पीकअप वाहन के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उमराव को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 7 के कथन में वाहन का क्रमांक लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी और वह पुलिस के साथ घटनास्थल पर भी नहीं गया था।

10. डॉ. असीम राय असा 6 ने दिनांक 18.05.2013 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में प्रधान आरक्षक प्रकाश द्वारा मृतक उमराव पिता सरदार को शव परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके द्वारा मृतक के शव का परीक्षण कर उसका शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 देने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्त स्राव एवं सिर में आई चोटों के कारण हुई थी।

11. डॉ. विमलेश चोयल असा 11 ने दिनांक 17.05.2013 को थाना अंजड़ से आरक्षक दिलीप आहत उमराव पिता सरदार को थाना अंजड़ से बेहोशी की हाल में लाये जाने पर उसके सिर के दाहिनी और रगड़ के निशान की चोट होने से और उसे गंभीर अवस्था में होने से जिला चिकित्सालय बड़वानी ईलाज के लिए भेजने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 12 भी प्रमाणित किया है।

12. पण्डु असा 8 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 134/13 में जप्त पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसे सही अवस्था में होना पाया था तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 प्रतिवेदन भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त प्रतिवेदन उसकी हस्तलिपि में नहीं है।

13. गजेन्द्रसिंह असा 7 का कथन है कि दिनांक 17.05.13 को थाना अंजड़ में ओमप्रकाश पिता दुलीचंद ने थाने पर आकर पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 के चालक के विरुद्ध प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत उमराव की मृत्यु होने से उसने प्रदर्शपी 9 का मार्ग दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि फरियादी ने प्रदर्शपी 5 की कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा उसने मृतक के परिवार वालों से मिलकर उन्हें प्रतिकर राशि प्रदान कराने के लिए असत्य रिपोर्ट दर्ज की है।

14. शिवजी असा 9 का कथन है कि 3-4 वर्ष पूर्व उसके पास पीकअप वाहन था। उसके वाहन से कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। किसी ने उसके वाहन के क्रमांक की झूठी शिकायत की है। पुलिस उसके वाहन को थाने पर लेकर आये थे। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 11 का कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त उसका पुत्र है, इसलिए असत्य कथन कर रहा है।

15. रामलाल असा 10 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 134/13 की विवेचना के दौरान दिनांक 18.05.13 को ओमप्रकाश के बताये अनुसार प्रदर्शपी 6 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा आहत उमराव की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त के पेश करने पर पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा किसी साक्षी ने वाहन का क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मृतक के परिवार को प्रतिकर राशि दिलाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

16. इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना, दिनांक व स्थान पर अभियुक्त द्वारा उक्त पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उमराव को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। यहाँ तक कि साक्षियों ने उपस्थित अभियुक्त की पहचान भी उक्त वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है तथा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले साक्षी ओमप्रकाश असा 3 ने भी प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट में वाहन का क्रमांक लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि वाहन के मालिक शिवजी

असा 9 ने भी उक्त वाहन अभियुक्त द्वारा घटना के समय चलाने से स्पष्ट इंकार किया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, स्थान एवं समय पर उक्त वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 को लोकमार्ग पर तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उमराव की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

17. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त हितेश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त हितेश को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.दं.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 0236 दिनांक 25.05.2013 को उसके पंजीकृत स्वामी शिवजी पिता भिलूराम राठौड़, निवासी— ग्राम छोटा बड़दा तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर किया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी